BRSR010108792026

न्यायालय– द्वादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
बी.पी.न0–1429 / 2026
मढ़ौरा थाना कांड सं0–508 / 2026

ललिता देवी **बनाम्** **बिहार राज्य**

13.08.2026 आवेदक अभियुक्ता ललिता देवी जो दिनांक–13.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन संख्या–1429/2026, मढ़ौरा थाना कांड संख्या 508/2026, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),117(2),118(2),109,352,3(5),3(5), भा0न्या0सं0 में अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भू जी शर्मा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री विमल चन्द्र सिंह को सुना।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि घटनातिथि को सूचिका अपने घर के आंगन में खाना बना रही थी कि उसी समय घरेलू विवाद को लेकर नन्हक राय, ललिता देवी, राधिका देवी व अन्य नामित अभियुक्तगण एकमत होकर गाली–गलौज करने लगे। जब सूचिका गाली देने का विरोध की तो उक्त सभी लाठी, रॉड, डंडा से मारपीट किये। इसी क्रम में आंगन में चुल्हा पर राधिका देवी गाय का पखेव बना रही थी, जो खौला हुआ गर्म पखेव था उक्त सभी व्यक्ति जान मारने के नियत से सूचिका के शरीर पर उड़ेल दिया, जिससे सूचिका का शरीर का आधा अंग जल गया। सूचिका बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। हो–हल्ला पर आस–पास के लोग आकर जान बचाये और ईलाज हेतु अस्पताल लेकर आए।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदिका की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्ता निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदिका को झूंठा फंसाया गया है। आवेदिका का आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे उनका कथन है आवेदिका का वर्तमान घटना में कोई संलिप्तता नहीं है। आवेदिका एक वृद्ध महिला है। आवेदिका द्वारा इस प्रकार की घटना करना संभव नहीं है। आवेदक अभियुक्ता दिनांक 13.06.2026 से कारा अभिरक्षा में है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदिका द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए, आवेदिका का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी मढ़ौरा थाना कांड संख्या 508/2026, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),117(2),118(2),109,352,3(5),3(5), भा0न्या0सं0 में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कांड दैनिकी के कंडिका–25 में वादिनी का पुनः बयान है जिसमें वादिनी ने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कंडिका–8,9,26 में साक्षियों का साक्ष्य है, जिसमें साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदिका का आपराधिक इतिहास नहीं है। कांड दैनिकी के साथ जख्म प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें चिकित्सक ने जख्मी के शरीर पर Accidental burn injury due to which TBSA 30% involving superficial skin. (i) Case of Assault due to which Abrasion on left side temporal region जख्म पाया है। **आवेदिका पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सूचिका के साथ मारपीट करने व गर्म तरल पदार्थ उड़ेल कर सूचिका का आधा शरीर जलाने का आरोप है।** वाद में अभी अनुसंधान जारी है। आवेदिका द्वारा कारित आपराध को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्ता को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त ललिता देवी के तरफ से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन दिनांक–22.07.2026 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

ANJANI KUMAR GOND

Digitally signed by ANJANI KUMAR GOND
Date: 2026.08.13 16:10:35 +0530

द्वादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।